न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 07/2013

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

प्रार्थीया

1.सरोजकंवर बेवा इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी करकेड़ी हाल निवासी आनन्दपुरा

बनाम

अप्रार्थीगण

1.सरपंच ग्राम पंचायत आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी

2.नारायणराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी आसनपुरा

3.बजरंगलाल पुत्र गणपतलाल जाति ब्राहम्ण निवासी आनन्दपुरा

4.हरिबक्षराम पुत्र रूपाराम जाति गुर्जर निवासी आनन्दपुरा

5.अतिरिक्त तहसीलदार कुचामनसिटी

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 569 दिनॉक 23.08.2011 ग्राम पंचायत आनन्दपुरा द्वारा स्वीकृति किया गया ,

अन्तर्गत धारा 75 (2)राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से ।

श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

आदेश

दिनॉक :– 30/11/2011

यह अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 478,480,986/478 कुल रकबा 3.71 हैक्टर के 1/4 हिस्सा के काबिज खातेदार रेस्पोडेन्ट नं. 4 हरिबक्ष गुर्जर रहे है तथा 3/4 हिस्से का रेस्पो. 3 बजरंगलाल काबिज खातेदार रहे है । मौके पर आपसी सुविधा से रेस्पोडेंट 2,3 ने अलग–अलग काबिज रहे है । मौके पर खसरा नम्बर 479 की सम्पूर्ण भूमि रेस्पो. हरिबक्ष गुर्जर के भौतिक कब्जा काश्त में रही है मौके पर भौतिक कब्जा खसरा नम्बर 479 के काबिज कृषक हरिबक्ष से अपीलान्ट के पिता गजेन्द्रसिंह द्वारा अपने खर्च से अपीलांट के रहवास हेतु 0.1618 हैक्टर भूमि अपीलांट के नाम दिनॉक 13.10.2006 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के खरीद की गई एवं मौके पर भौतिक कब्जा अपीलांट ने मौके पर खसरा नम्बर 479 मे पूर्वी तरफ ग्राम की आबादी से सटती हुई भूमि पर कब्जा प्राप्त किया है । मौके पर अपीलान्ट ने इस क्रयसुदा भूमि के चारो तरफ तारबंदी पट्टीया रोप कर ली गई तथा अपीलांट की भूमि के दक्षिणी तरफ राणासर से आनन्दपुरा के मार्ग पर दिनॉक 13.10.2006 से चला आ रहा है । अपीलांट के नाम नामान्तकरण संख्या 407 दिनॉक 02.11.2006 को स्वीकृत होकर अपीलांट अपनी इस भूमि पर बतौर खातेदार काबिज है । रेस्पों. 3 राजस्व कर्मचारियो अधिकारियो से साठ गांठ कर एक फर्जी बंटवारा नामा दर्शाकर दिनॉक 11.4.2011 को नामान्तकरण संख्या 556 स्वीकृत कराया गया । जिसकी जानकारी होते ही अपीलांट व रेस्पों.नं. 4 उक्त नामान्तकरण संख्या 556 दिनॉक 11.4.11 व बंटवारा स्कीम के निर्णय दिनॉक 29.3.2011 के विरूद्व सक्षम न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के यहा पेश की गई जिसके मुकदमा संख्या 56/2011 उक्त अदालत में कायम हुए जो अपील उक्त अदालत में जैरतजबीज है ,तथा उक्त

.........2..........

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अदालत द्वारा उक्त नामान्तकरण संख्या 556 दिनॉक 11.4.2011 के बाबत स्थगन आदेश भी जारी किया गया है । उक्त अपील की जानकारी रेस्पो.2,3 को होने से हल्का पटवारी व हल्का निरीक्षक भू अभिलेख से साजिश कर दिनॉक 23.8.2011 को रेस्पो. 1 द्वारा रेस्पो. 2 के हक में विक्रय पत्र दिनॉक 12.8.2011 का नामान्तकरण से 569 दिनॉक 23.8.2011 को स्वीकृत कराया गया जो अवैध है । रेस्पो. नं. 3 के नाम फर्जी बंटवारा स्कीम के आधार पर नामान्तकरण संख्या 556 दिनॉक 11.4.2011 को स्वीकृत हुआ उसके विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील जैरतजबीज है । उक्त फर्जी बंटवारानामा नामान्तकरण के आधार पर रेकर्ड जमाबन्दी में उपर्युक्त खाता में 1137/478, 479,1134/478, 1136/479, 478, 1137/479, 1135/479, 481, 986/478 कायम करते हुए खाता विभाजन किया गया वह भी गलत व अवैध है । स्वीकृत बंटवारा भौतिक कब्जा की स्थिति के विपरीत है । मौके पर खसरा नम्बर 479 में पूर्वी तरफ 0.1618 हैक्टर भूमि तत्कालीन काबिज हरिबक्ष गुर्जर से अपीलांट ने भौतिक कब्जा दिनॉक 13.10.2006 से प्राप्त कर लिया तब से वह उसी जगह काबिज है ,नवीन नक्शा ट्रेस तरमीमशुद्वा भाग खसरा नम्बर 1135/479 व 1136/479 की 0.1618 हैक्टर भूमि अपीलांट के कब्जा व अधिकार में है जो गांव की आबादी के खसरा नम्बर 467,468,469,470 के सटती हुई है तथा राणासर से आनन्दपुरा के रास्ता पर अवस्थित है । नक्शा तरमीम व अवैध तरीक से कायम किये गए खसरा नम्बर 1135/479 रकबा 0.15 हैक्टर अंकित कराते हुए रेस्पो.2 ने अपने नाम विक्रय पत्र करा कर बिना भौतिक कब्जा प्राप्त किए रेस्पो.1 के यहॉ नामान्तकरण संख्या 569 दिनॉक 23.8.2011 को स्वीकृत कराया है । जबकि नक्शा ट्रेस में अंकित तरमीमशुद्वा भाग खसरा नम्बर 1135/479 के भाग पर (मूल खसरा नम्बर 479 के पूर्वी तरफ) अपीलांट का दिनॉक 13.10.2006 से भौतिक कब्जा व अधिकार है । काबिज अपीलांट का बिना सूचना दिए मौके की जांच किए बिना ही रेस्पो. 1 द्वारा रेस्पो. नं.2 के हक में नामान्तकरण संख्या 569 स्वीकृत किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों व नामान्तकरण नियमो के विरूद्व होने से अवैध है । रेस्पों. 1 द्वारा मनमर्जी से ग्राम पंचायत की बैठक सरकार द्वारा निश्चित तारीखो के विपरीत जाकर रेस्पो. 2 को फायदा पहुचानें हेतु की गई जबकि सरकार द्वारा प्रत्येक माह की 5 व 20 तारीख व पंचायत बैठक हेतु निश्चित की जाती रही है । उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता द्वारा क्रय कर उपलब्ध कराई गई है तथा उक्त भू–भाग पर रहवासीय मकानात बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ऋण स्वीकृत हो चुका है अगर रेस्पो. की इस भूमि पर उक्त फर्जी नामान्तकरण के आधार पर जबरन कब्जा करने में सफल हो गए तो अपीलांट सदैव के लिए बर्बाद हो जावेंगी । अपील पेश कर निवेदन किया है की अपील अपीलांट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 569 दिनॉक 23.8.2011 को निरस्त फरमाया जावें ।

अपील प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को जरिये नोटीस तलब किया गया । रेस्पो. नंम्बर 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया । रेस्पो. 1,3,4,5, अनुपस्थित रहे । जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही की गई । रेस्पो. 2 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि अपीलांट संख्या 2 ने पक्षकारान के मध्य जरिये राजीनामा बंटवारा होने एवं अलग अलग खातेदारी दर्ज होने के पश्चात भूमि दिनॉक12.8.2011 को रेस्पो. संख्या 3 बंजरगलाल से खसरा नम्बर 1135/479 रकबा 0.15 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 478 रकबा 1.5750 हैक्टर मे से 0.54 हैक्टर जिसके नये नम्बर 1138/478 रकबा 0.54 हैक्टर कुल 0.69 हैक्टर भूमि क्रय की है । उक्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 569 दिनॉक 23.8.2011 को खातेदारी दर्ज हुई। जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा दिनॉक 24.8.2011 को माननीय न्यायालय अति.जिला कलक्टर महोदय डीडवाना के प्रस्तुत की गई । दिनॉक 23.8.2011 को किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश नही था । अपीलान्ट का मौके पर खसरा नम्बर 1134/478 रकबा 0.0136 हैक्टर, खसरा नम्बर 1136/479 रकबा 0.1482

..........3..........

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हैक्टर कुल रकबा 0.1618 हैक्टर पर कब्जा काश्त है । खसरा नम्बर 1135/479 रकबा 0.15 हैक्टर सम्पूर्ण पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 नारायणराम का कब्जा काश्त है । अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 1135/479 पर बताया गया कब्जा काश्त गलत बताया गया है । उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का एवं निरीक्षक भू.अभिलेख तथा पंचायत द्वारा नियमानुसार पारित किया गया है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से काबिल खारीज योग्य है जिसे खारीज किया जावें ।

अपीलांट की ओर से दस्तोवजी साक्ष्य में नामान्तरकरण संख्या 569 दिनॉक 23.8.2011 की प्रमाणित प्रति, माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के अपील प्रकरण संख्या 56/2011 श्रीमति सरोज कंवर बनाम तहसीलदार कुचामनसिटी ओदश दिनॉक 30.06.2015 की प्रमाणित प्रति, विकलांग प्रमाण –पत्र की छाया प्रति,पंचायत समिति कुचामनसिटी द्वारा जारी नोटीस की छाया प्रति,प्रस्तुत की । रेस्पो. संख्या 2 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय डीडवाना के यहा प्रस्तुत अपील नामा.सं. 556 दिनॉक 01.04.2011 को निरस्त करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनॉक 24.8.2011 की छाया प्रति,नामा.569 दिनॉक 23.8.11 की छाया प्रति, बेचान दस्तावेज 2011002306/12.8.2011 बजरंगलाल द्वारा नारायणराम के पक्ष में की छाया प्रति,नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति,चालू जमाबन्दी की नकल,माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर के यहॉ विचाराधीन प्रकरण संख्या 3878/2015 में जारी स्थगन दिनॉक 08. 7.2015 की छाया प्रति प्रस्तुत की है ।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । दोनो ही पक्षो द्वारा अपने अपने समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक बहस सुनाई एवं नामान्तरकरण संख्या 569 दिनॉक 23.8.2011 को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने का कथन किया है । अपीलांट द्वारा बंटवारा को गलत बताया तथा दिनॉक 23.8.2011 को नामान्तरकरण संख्या 569 स्वीकृत को खारीज किये जाने का निवेदन किया है तथा रेस्पो. संख्या 2 ने उक्त नामान्तरकरण को विधिवत स्वीकृत होना बताया है तथा क्रय सुदा भूमि पर किसी प्रकार का विवाद नही होना दर्शाया है ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस पर मनन किया गया । प्रश्नगत भूमि अपीलांट द्वारा 0.1618 हैक्टर भूमि हरिबक्षाराम पुत्र रूपाराम जाति गुर्जर से क्रय की गई जिसका नामान्तरकरण संख्या 407 दिनॉक 2.11.2006 को स्वीकृत होकर अपीलान्ट के नाम भूमि खसरा नम्बर 478,479,480,481,986/478 कुल रकबा 3.71 हैक्टर में दर्ज हुई । तत्पश्चात दिनॉक 29.3.2011 को तहसीलदार कुचामनसिटी के समक्ष आपसी सहमति बंटवारा से नामान्तकरण संख्या 556/01.4.2011 को स्वीकृत हुआ । जिसके अनुसार अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 3,4, के नाम अलग अलग भूमि दर्ज हुई । बजरंगलाल पुत्र गणपतलाल जाति ब्राहम्ण निवासी आनन्दपुरा द्वारा अपने हिस्से की भूमि मे से 0.69 हैक्टर भूमि नारायणराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी आनन्दपुरा को बेचान कर दी । जो जरिये नामान्तरकणर संख्या 569 दिनॉक 23.8.2011 को नारायणराम के खातेदारी में दर्ज हुई । अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 569 दिनॉक 23.8.2011 की अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । जबकि प्रश्नगत भूमि का बेचान बंजरगलाल द्वारा अपने हक हिस्से की सेपरेट भूमि में से नारायणराम को किया गया है । अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय अति.जिला कलक्टर महोदय डीडवाना के यहॉ नामा.संख्या 556 दिनॉक 01.4.2011 की अपील दिनॉक 24.8.2011 को की गई है उक्त न्यायालय में प्रकरण संख्या 56/2011दर्ज होकर माननीय न्यायालय द्वारा दिनॉक 30.6.15 को आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश मुताबिक अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा बंटवारा आदेश दिनॉक 29.3.201 एवं उसकी पालना में पारित किया गया नामा0

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

संख्या 556 दिनॉक 11.04.2011 खारिज किया गया । उक्त पारित आदेश 30.6.15 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के यहा रेस्पो. नारायणराम द्वारा की गई। उक्त अपील संख्या 3878/2015 नारायणराम बनाम सरोजकंवर वगैरह दर्ज हुई । जिसमे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनॉक 08.7.2015 को स्थगन आदेश पारित कर माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के आदेश दिनॉक 30.6.2015 की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया । उक्त प्रकरण में बेचान की गई भूमि रेस्पो. बजरंगलाल द्वारा अपने हिस्से की सेपरेट भूमि मे से नारायणराम को बेचान की गई है जिसमें अपीलांट का कोई हक हिस्सा नही है । रेस्पो. नारायणराम के खसरा नम्बर 1135/479 रकबा 0.15 हैक्टर खसरा नम्बर 1138/478 रकबा 0.54 हैक्टर कुल रकबा 0.69 हैक्टर खातेदारी में दर्ज हुई है तथा अपीलांट के खसरा नम्बर 1134/478 रकबा 0.0136 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1136/479 रकबा 0.1482 हैक्टर कुल रकबा 0.1618 हैक्टर भूमि खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । प्रश्नगत भूमि बंटवारा के जरिये अलग अलग खातेदारी में दर्ज होने के पश्चात बेचान की गई है । तहसीलदार के समक्ष सभी खातेदारान द्वारा सहमति प्रदान करने के पश्चात ही बंटवारा स्वीकार किया गया है । नामान्तरकरण संख्या 556 दिनॉक 01.4.2011 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है । नामान्तरकरण संख्या 569 दिनॉक 23.8.2011 बेंचान सम्बन्धी है जिसमें अपीलांट का कोई हित प्रभावित नही होता है ,चूँकि प्रश्नगत भूमि में अपीलांट न तो सह खातेदार है तथा नही अपीलांट का कोई हक हिस्सा प्रभावित हो रहा है । अपीलांट बंटवारा से पीड़ित है जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के यहॉ विचाराधीन है जिसमें यथास्थिति के आदेश पारित हो रखे है । अपीलांट को इस नामान्तरकरण संख्या 569/23.8.2011 में किसी प्रकार का हक हिस्सा नही होने से अपील स्वीकार योग्य नही है ।

आदेश

ग्राम आनन्दपुरा खसरा नम्बर 1135/479 रकबा 0.15 हैक्टर, 1138/478 रकबा 0.54 हैक्टर कुल रकबा 0.69 हैक्टर नारायणराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी आसनपुरा के अकेले के नाम भूमि खातेदारी मे दर्ज होने एवं प्रश्नगत भूमि के बंटवारा की अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन रहते हुए यथास्थिति के आदेश पारित होने से एवं अपील अपीलांट साबित नही होने से खारिज की जाती है ।

आदेश आज दिनॉक 10/11/2015 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)